14

किया जाता है किरिये पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/ पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे/

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

27 5/19 वकील वादी की ओर से प्रा०पत्र धारा 151 cpc पेश करने पर मूल पत्रावली तलब की गई/ वकील वादी ने प्रा०पत्र में अवगत कराया की मूल दावे में ख.न. 1042 रकबा 0.33 हैक्टर है किन्तु लिपिकीय त्रुटी से निर्णय/डिक्री में ख.न. 1042 की जगह 142 हो गया जिसको शुद्ध किया जावे/ हमारे द्वारा प्रा०पत्र 151 cpc पर वकील वादी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया/ मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख.न. 142 की जगह 1042 शुद्ध किया जाना उचित है/ अतः प्रा.पत्र वकील वादी का 151 cpc स्वीकार किया जाता है/ तथा मूल निर्णय/डिक्री में ख.न. 142 की जगह ख.नं. 1042 लाल स्याही से नोट लगाकर दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है/ पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल की जावे/

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

सुग्रीव पुत्र मीठ्या, जाति गुर्जर निवासी खेड़ली, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील बामनवास एवं
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पिपलाई, जरिये मैनेजर प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 20/2018

वादी अपने अधिवक्ता सहित उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । इस वाद में आज दिनांक 12 /4/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर. ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी सुग्रीव पुत्र मीठ्या, जाति गुर्जर निवासी खेड़ली, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षीय साक्ष्य के आधार पर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार, तहसील बामनवास को आदेश दिया जाता है कि वह चरागाह की भूमि खसरा नम्बर 6 व 7 में बढ़ाये गये रकवे में से वादी के पिता मीठ्या की खातेदारी की आराजी नवीन सैटिलमैण्ट के अनुसार खसरा नम्बर 157 रकवा 1.01 हैक्टेयर, 158 रकवा 0.70 हैक्टेयर, 169 रकवा 0.71 हैक्टेयर, 170 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 172 रकवा 0.28

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

हैक्टेयर, 173 रकवा 1.25 हैक्टेयर, 142 रकवा 0.33 हैक्टेयर, 1043 रकवा 0.35 हैक्टेयर एवं 1246 रकवा 0.10 हैक्टेयर में कम किए गए रकवे 0.47 हैक्टेयर को कम करते हुए उसे वादी की खातेदारी में दर्ज करे तथा वादी से सम्बन्धित सभी राजस्व रिकॉर्ड में इस समायोजन का संशोधन किया जावे । साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद भी किया जाता है कि वे वादी के 0.47 हैक्टेयर भूमि के उपयोग, उपभोग, कब्जे काश्त में न तो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें और न ही इस रकवे से बेदखली बावत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 12/4/2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
(रामकिशोर मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

नोट:- आदेश दिनांक 27.5.19 द्वारा प्रा.पत्र 15/18 स्वीकार होने पर उक्त डिक्री में ख.नं. 142 की जगह ख.नं. 1042 पढ़ा जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला–स०मा०)